बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 5639259 ग्रा0वि0/पटना, दिनांक 21/05/26
ग्रा0वि0-5/मु0ग्रा0आ0यो0 (आवंटन)-106-05/2024

सेवा में

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय:- **वित्तीय वर्ष 2026-27 में "मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना" के कार्यान्वयन हेतु विपत्र कोड 42-2216031050107, विपत्र कोड 42-2216037890105 एवं विपत्र कोड 42-2216037960104 के अंतर्गत क्रमशः 300.00 लाख (तीन करोड), 600.00 लाख (छः करोड), तथा 100.00 लाख (एक करोड) रूपये कुल 1000.00 लाख (दस करोड) रूपये के विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश:- स्वीकृत।

01 जनवरी, 1996 के पूर्व विभिन्न आवास योजनाओं के तहत समूहों में निर्मित आवास जो वर्तमान में जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं के लाभुक पूर्व से आवास का लाभ प्राप्त रहने के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का लाभ पाने से वंचित हैं एवं वैसे परिवार जिनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची में शामिल नहीं है, उन्हें आवास निर्माण हेतु "मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना" अंतर्गत सभी जिलों में 1,20,000/- (एक लाख बीस हजार) रूपये की दर से तीन किश्तों में आवास निर्माण की प्रगति के साथ उपलब्ध कराई जा रही हैं।

2. राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक-14.01.2020 की स्वीकृत प्रस्ताव के आलोक में इसी योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की वर्तमान प्रतीक्षा सूची से छूटे हुए योग्य परिवारों को निधि उपलब्धता के अनुरूप सभी सुयोग्य परिवारों को राज्य सरकार द्वारा आवास का लाभ दिया जाना है।

3. इन परिवारों को योजनान्तर्गत आवास निर्माण हेतु सभी जिलों में 1.20 लाख (एक लाख बीस हजार) रूपये की सहायता राशि आवास निर्माण की प्रगति के साथ तीन किश्तों में उपलब्ध कराई जाती है। राशि का अंतरण स्टेट नोडल एकाउन्ट से FTO(Fund Transfer Order) के माध्यम से लाभुकों के बैंक खाता में किया जाता है।

4. योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में उपलब्ध मूल बजट में उपबंधित राशि में से उप शीर्षवार/विपत्र कोडवार विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति निम्नवत् है:-

(राशि लाख में)

क्र. सं.	बजट शीर्ष एवं विपत्र कोड	मूल बजट उपबंधित राशि	विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति हेतु प्रस्तावित राशि
01	मुख्य शीर्ष-2216-आवास, उप मुख्य शीर्ष-03-ग्रामीण आवास, लघु शीर्ष-105-इंदिरा आवास योजना, उप शीर्ष-0107-मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, विषय शीर्ष-31-सहायता अनुदान, 0107-31-05-सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण, विपत्र कोड-42-2216031050107	300.00	300.00
02	मुख्य शीर्ष-2216-आवास, उप मुख्य शीर्ष-03-ग्रामीण आवास, लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष धटक योजना, उप शीर्ष-0105-मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, विषय शीर्ष-31-सहायता अनुदान, 0105-31-05 सहायक अनुदान- परिसंपत्तियों के निर्माण, विपत्र कोड-42-2216037890105	600.00	600.00
03	मुख्य शीर्ष-2216-आवास, उप मुख्य शीर्ष-03-ग्रामीण आवास, लघु शीर्ष-796- जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना, उप शीर्ष-0104-मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, विषय शीर्ष-31-सहायता अनुदान, 0104-31-05- सहायक अनुदान- परिसंपत्तियों के निर्माण, विपत्र कोड-42-2216037960104	100.00	100.00
	कुल	1000.00	1000.00

5. स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी । स्वीकृत राशि के विरूद्ध आवंटन आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा । आवंटनादेश वित्त विभागीय पत्रांक 380/वि0 दिनांक 20.04.2026 के आलोक में निर्धारित बंधेज की सीमा के अधीन निर्गत की जायेगी ।

6. ग्रामीण विकास विभाग के मांग संख्या-42 में मुख्य शीर्ष-2216 के अंतर्गत विभागीय निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्व से घोषित हैं तथा स्वीकृत राशि सहायता अनुदान से संबंधित है, अतएव वित्त विभाग के पत्र सं0-7355 वि.(टि.) दिनांक-05.10.07 में निहित निदेश के आलोक में स्वीकृत राशि की कोषागार से निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है ।

7. ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से संचालित राज्य योजना के कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-12888 दिनांक- 03.12.2024 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत आदेशों में निहित प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जायेगी ।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत राशि के विरूद्ध निकासी की गई राशि को निकासी कर बिहार रूरल डेवलपमेन्ट सोसाईटी (BRDS) के संचालनाधीन योजना के राज्य स्तर पर संधारित नोडल खाता BRDS-Mukhya Mantri Gramin Awas Yojna के नाम से Axis Bank Limited, New Bypass Road, Patna-800020 में बचत खाता संख्या-918010092911292, IFSC Code-UTIB0002579, MICR Code-800211012 में जमा किया जायेगा ।

9. योजना अंतर्गत योग्य लाभुकों को सहायता राशि का भुगतान ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित वेबसाईट आवास सॉफ्ट के माध्यम से FTO द्वारा किया जाता है ।

10. स्वीकृत राशि के विरूद्ध बी0आर0डी0एस0 के बैंक खाते में जमा की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र बिहार रूरल डेवलपमेन्ट सोसायटी (BRDS), पटना के द्वारा समेकित रूप से ग्रामीण विकास विभाग, बिहार को समर्पित किया जायेगा । ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा महालेखाकार, पटना को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किया जाएगा ।

11. स्वीकृत राशि राज्य योजना के तहत पूर्व से चालू स्कीम पर व्यय की जाएगी, फलस्वरूप वित्त विभाग के संकल्प संख्या-12888 दिनांक-03.12.2024 में निहित प्रावधान के आलोक में उपबंधित राशि की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करने के लिए प्रशासी विभाग सक्षम है ।

12. वित्तीय विभाग के संकल्प संख्या-12888 दिनांक- 03.12.2024 के आलोक में योजना कार्यान्वयन हेतु राशि की स्वीकृति एवं विमुक्ति संबंध में सक्षम प्राधिकार(प्रशासी विभाग) का अनुमोदन संचिका संख्या- ग्रा0वि0-5/मु0ग्रा0आ0यो0(आवंटन)-106-05/2024 के टिप्पणी पृष्ठ सं0-...53/टि0 पर दिनांक-..20/05/2026... को प्राप्त है ।

13. वित्त विभाग के संकल्प सं0-12888 दिनांक-03.12.2024 के आलोक में प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- ग्रा0वि0-5/मु0ग्रा0आ0यो0 (आवंटन)-106-05/2024 के टिप्पणी पृष्ठ सं0-.....54...../टि0 पर दिनांक-21/05/2026... को प्राप्त है ।

विश्वासभाजन

21/5/26

(रवि कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 5639259 पटना, दिनांक 21/05/26

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/अवर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार रूरल डेवलपमेन्ट सोसायटी, पटना/ Axis Bank Limited, New Bypass Road, Patna-800020/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

21/5/26

सरकार के संयुक्त सचिव